

पटना में दिनांक-17 दिसम्बर, 2013 मंगलवार को अपराह्न 04:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

- | | | | |
|----|---|----|----------|
| 1. | बिहार संगीत नाटक अकादमी, पटना के संगम ज्ञापन एवं विधिकृत स्मृति पत्र एवं नियमावली की स्वीकृति के संबंध में। | 1. | स्वीकृत। |
|----|---|----|----------|

निगरानी विभाग

- | | | | |
|----|--|----|----------|
| 2. | बिहार राज्य विद्युत पर्षद के विघटन के बाद बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) कम्पनी एवं इसके अनुषंगी कंपनियाँ गठित होने के फलस्वरूप निगरानी विद्युत पर्षद कोषांग, निगरानी विभाग को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो में समाहित करने के संबंध में। | 2. | स्वीकृत। |
|----|--|----|----------|

सामान्य प्रशासन विभाग

- | | | | |
|----|---|----|----------|
| 3. | समूह 'घ' के पदों पर सीधी भर्ती हेतु उम्मीदवारों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के संबंध में। | 3. | स्वीकृत। |
|----|---|----|----------|

सामान्य प्रशासन विभाग

- | | | | |
|----|---|----|----------|
| 4. | बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2011 (बिहार अधिनियम, 4-2011) के तहत सेवा के लिए अधिसूचित कतिपय सेवाओं को हटाने, नियत समय-सीमा, नामनिर्दिष्ट लोक सेवक में संशोधन एवं चयनित सेवाओं को 'तत्काल सेवा' के रूप में उपलब्ध कराने का अनुमोदन। | 4. | स्वीकृत। |
|----|---|----|----------|

स्वास्थ्य विभाग

- | | | | |
|----|--|----|----------|
| 5. | स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत राजकीय तिब्बी कॉलेज, पटना के शैक्षणिक पदाधिकारियों यथा प्रवाचक से प्राध्यापक के पद पर प्रोन्नति की स्वीकृति। | 5. | स्वीकृत। |
|----|--|----|----------|

पंचायती राज विभाग

- | | | | |
|----|---|----|----------|
| 6. | राज्य की ग्राम कचहरियों को जिन्हें अपना भवन नहीं है, प्रत्येक ग्राम कचहरी अधिकतम 500.00 रु० (पाँच सौ रूपये) प्रतिमाह की दर से किराया पर भवन उपलब्ध कराने हेतु पूर्व का बकाया सहित वित्तीय वर्ष 2013-14 में 4.00 करोड़ रु० (चार करोड़ रु०) ग्राम कचहरियों को अनुदान स्वरूप राशि की स्वीकृति। | 6. | स्वीकृत। |
|----|---|----|----------|

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

7. सरकारी (लोक) भूमि की घेराबंदी के लिए वित्तीय वर्ष 2013-14 में 100 करोड़ (एक सौ करोड़ रु०) के व्यय की स्वीकृति।

7. स्वीकृत।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

8. विश्व बैंक एवं भारत सरकार की सहायता से राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत नवादा जिला के रजौली प्रखण्ड के अत्याधिक फ्लोराईड प्रभावित 90 ग्रामों/टोलों में फुलवरिया बांध के सतही जल पर आधारित रजौली बहुग्रामीय पाईप जलापूर्ति योजना के निर्माण एवं 5 वर्ष के Operation & Maintenance हेतु 8482.00 लाख रुपये (चौरासी करोड़ बयासी लाख रुपये) पर प्रस्तुत योजना एवं योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्यांश मद की राशि बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन को अनुदान के रूप में देने तथा वर्ष 2013-14 के लिए अनुदान की टोकन राशि 1.00 लाख (एक लाख) रुपये की स्वीकृति।

8. स्वीकृत।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

9. विश्व बैंक एवं भारत सरकार की सहायता से राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत नालंदा जिला के राजगीर एवं सिलाव प्रखण्ड के फ्लोराईड से प्रभावित 38 ग्रामों/टोलों में पंचाने नदी के भूगर्भीय जल पर आधारित सिलाव बहुग्रामीय पाईप जलापूर्ति योजना के निर्माण एवं 5 वर्ष के Operation & Maintenance हेतु 6126.00 लाख रुपये (इकसठ करोड़ छब्बीस लाख रुपये) पर प्रस्तुत योजना एवं योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्यांश मद की राशि बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन को अनुदान के रूप में देने तथा वर्ष 2013-14 के लिए अनुदान की टोकन राशि 1.00 लाख (एक लाख) रुपये की स्वीकृति।

9. स्वीकृत।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

10. विश्व बैंक एवं भारत सरकार की सहायता से राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत बेगूसराय जिला के चेरिया बरियारपुर प्रखण्ड में सतही जल (बूढ़ी गंडक नदी) पर आधारित चेरिया बहुग्रामीय पाईप जलापूर्ति योजना के निर्माण एवं 5 वर्ष Operation & Maintenance हेतु 5120.00 लाख रुपये (इक्यावन करोड़ बीस लाख रुपये) की राशि पर प्रस्तुत योजना एवं इसके कार्यान्वयन हेतु राज्यांश मद की राशि बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन को अनुदान के रूप में देने तथा वर्ष 2013-14 के लिए अनुदान की टोकन राशि 1.00 लाख (एक लाख) रुपये की स्वीकृति।

10. स्वीकृत।

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

11. विश्व बैंक एवं भारत सरकार की सहायता से राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत पश्चिम चंपारण जिला के चनपटिया और मझौलिया प्रखण्ड के 13 टोलों में भूगर्भीय जल पर आधारित घोघा घाट बहुग्रामीय पाईप जलापूर्ति योजना के निर्माण एवं 5 वर्ष Operation & Maintenance हेतु 3833.00 लाख रुपये (अड़तीस करोड़ तैंतीस लाख रुपये) मात्र की राशि पर प्रस्तुत योजना एवं योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्यांश मद की राशि बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन को अनुदान के रूप में देने तथा वर्ष 2013-14 के लिए अनुदान की टोकन राशि 1.00 लाख (एक लाख) रुपये की स्वीकृति।
11. स्वीकृत।

खान एवं भूतत्व विभाग

12. खान एवं भूतत्व विभाग के अन्तर्गत सहायक निदेशक कोटि वेतनमान- पी०बी०-3, 15,600-39,100, ग्रेड पे०-6600 से उप निदेशक, वेतनमान- पी०बी०-3, 15,600-39,100, ग्रेड पे०-7600 के रिक्त पदों पर नियमित प्रोन्नति देने के संबंध में।
12. स्वीकृत।

गृह विभाग

(सैनिक कल्याण निदेशालय)

13. द्वितीय विश्वयुद्ध के विसर्जित सैनिकों तथा मृत्योपरांत उनके पत्नियों को दी जा रही आर्थिक सहायता में बढ़ोतरी के संबंध में।
13. स्वीकृत।

ग्रामीण विकास विभाग

14. ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) की पुनर्संरचना के पश्चात निर्गत नई मार्गनिर्देशिका, आजीविका स्कील्स (Aajeevika Skills) मार्गदर्शिका 2013 और महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना मार्गदर्शिका के आलोक में कार्यान्वयन की नीति तथा राज्य सरकार द्वारा ब्याज दर में अतिरिक्त छूट (Interest Subvention) की स्वीकृति के संबंध में।
14. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

15. बिहार राज्य अन्तर्गत निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु "बिहार निजी विश्वविद्यालय नियमावली, 2013" पर स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।
15. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

16. राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों में सह-प्राध्यापक/प्राध्यापक के स्वीकृत एवं रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु उम्र सीमा में बढ़ोत्तरी। 16. स्वीकृत।

अनु.जाति एवं अनु.जनजाति कल्याण विभाग

17. प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना। 17. स्वीकृत।

गृह विभाग

18. बिहार पुलिस में अनुबंध पर कार्यरत सैप (स्पेशल ऑब्जिक्टिवी पुलिस) कर्मियों के मासिक मानदेय में बढ़ोत्तरी यथा :- सैप जवानों को रू० 12000 से 15000 (बारह हजार से पन्द्रह हजार), रसोईया को रू० 8400 से 11400 (आठ हजार चार सौ से ग्यारह हजार चार सौ) एवं जूनियर कमिश्नड ऑफिसर को रू० 15000 से 18000 (पन्द्रह हजार से अठारह हजार) तथा वर्दी भत्ता (बिहार पुलिस एवं समकक्ष के समान) एवं देय वार्षिक अवकाश में 20 से बढ़ाकर 40 दिन करने के संबंध में। 18. स्वीकृत।

पर्यावरण एवं वन विभाग

19. बिहार पर्यावरण एवं वन विभाग के लिए गठित क्षेत्रीय आशुलिपिक सम्बर्ग नियमावली, 2013 के नियम 4 के उप नियम (क) में संशोधन के संबंध में। 19. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

20. बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम 1991 की पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-2) के क्रमांक-27 पर दर्ज "लहेड़ी" जाति को विलोपित कर उसे अत्यंत पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-1) के क्रमांक-121 पर स्वतंत्र रूप से शामिल करने के संबंध में। 20. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

21. बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम 1991 की अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-1) के क्रमांक-119 पर "पैरघा/परिहार" जाति को स्वतंत्र रूप से शामिल करने के संबंध में। 21. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

22. बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम 1991 की अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-1) के क्रमांक-120 पर "जागा" जाति को स्वतंत्र रूप से शामिल करने के संबंध में। 22. स्वीकृत।

वित्त विभाग

23. श्री श्यामल दास, से०नि० अवर सचिव, अनु० जाति/जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना को दिनांक-12.07.10 के प्रभाव से वित्त विभाग के अधीन अवर सचिव के रिक्त पद के विरुद्ध संविदा पर नियुक्ति के लिए घटनोत्तर स्वीकृति एवं अगले एक वर्ष अथवा समिति के कार्य काल तक, जो भी पहले हो, तक संविदा पर नियोजन की स्वीकृति के संबंध में। 23. स्वीकृत।

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

24. भारतीय नृत्य कला मंदिर, पटना को स्थापना व्यय के लिए वित्तीय वर्ष 2013-14 में ₹ 25,00,000/- (पच्चीस लाख रुपये) मात्र सहायक अनुदान की स्वीकृति। 24. स्वीकृत।

गन्ना उद्योग विभाग

25. राज्य में चीनी उद्योग के समक्ष उत्पन्न आर्थिक संकट के आलोक में पेरार्ड सत्र 2012-13 एवं 2013-14 के लिए ईख क्रय कर की अदायगी से विमुक्ति, इन दोनों वर्षों के लिए भुगतये क्षेत्रीय विकास परिषद् कमीशन के दर का ईख मूल्य के दर का 0.20% के रूप में पुनर्निर्धारण तथा पेरार्ड सत्र 2013-14 में गन्ना कृषकों को समय पर ईख मूल्य भुगतान हेतु चीनी मिलों को 5.00 रु० प्रति क्विंटल के दर से ईख मूल्य अनुदान उपलब्ध कराये जाने की स्वीकृति। 25. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

26. बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 एवं पटना विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 यथा अद्यतन संशोधित की धारा-35 के परन्तुक में अंकित प्रावधान के अधीन राज्य के विश्वविद्यालयों के अधीनस्थ अंगीभूत महाविद्यालयों के विधि संकाय के वैसे अंशकालीन शिक्षकों को जिन्हें यू०जी०सी० द्वारा विहित अर्हता प्राप्त हो तथा जो राज्यपाल सचिवालय द्वारा दिनांक-29.06.2005 द्वारा परिचालित परिनियम में निर्धारित शर्तों एवं मापदण्डों की पूर्ति करते हों, को यू०जी०सी० का पुनरीक्षित नियत वेतन ₹ 25,000/- (पच्चीस हजार रु०) अधिकतम प्रतिमाह स्वीकृत किये जाने के संबंध में। 26. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

27. राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों तक में नियोजित शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के नियोजन तथा सेवा से संबंधित विवादों/अपीलों के निपटारा हेतु "बिहार राज्य विद्यालय शिक्षक एवं कर्मचारी शिकायत निवारण नियमावली 2013" की स्वीकृति।

27. स्वीकृत।